राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खोड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
518 / 2016 / प्रार्थना पत्र	02.11.2016	24.05.2017

उनवान

प्रेमदेवी पत्नि गोपाल रेगर निवासी शाहपुरा तह0 शाहपुरा
– प्रार्थिया

बनाम

तहसीलदार, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 251 (ए) आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री अनिल शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थिया

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) रा0टी0ए0 विरूद्व विपक्षी के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, राजस्व ग्राम ढीकोला मे प्रार्थिया के खातेदारी अधिकार की आराजी नं0 5905 / 407 रकबा 0.25 है0 स्थित है। उक्त कृषि आराजी के बदिशा दक्षिण मे बिलानाम कृषि आराजी संख्या 404 स्थित है। तथा आ0न0 403 शाहपुरा–भीलवाड़ा सड़क मार्ग है। उक्त कृषि आराजी मे आने जाने हेतु आराजी संख्या 403 मुख्य मार्ग से आ0न0 404 मे होते हुए प्रार्थिया की आराजी के बदिशा दक्षिण पश्चिम कोने पर निरन्तर व निर्बाध रूप से कई वर्षो से आ जा रहे है। आ0न0 404 बिलानाम के अलावा प्रार्थिया के आने जाने हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आम सड़क आ0न0 403 बिलानाम आराजी संख्या 404 मे होते हुए आराजी संख्या 5905 / 407 के बदिशा दक्षिणी पश्चिमी कोने तक 6 मीटर चौड़ा रास्ता दिलाने का आदेश बक्षावे। वह नियमानुसार राशि अदा करने को तत्पर हूँ।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 29.11.2016 को विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए बिन्दुवार जवाब, मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो दिनांक 22.02.2017 को प्राप्त हुई। नाप वर्गफीट (एयर) मे नही होने एवं डी0एल0सी0 दर के अनुसार गणना की जाकर पुनः रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु तहसीलदार को लिखा गया। दिनांक 21.03.2017 को नियमानुसार राशि का चालान जमा कराने हेतु प्रार्थिया को लिखा गया तथा प्रति तहसीलदार शाहपुरा को दी गई। तहसीलदार शाहपुरा ने उनके पत्रांक 737 दिनांक 01.05.2017 से प्रकरण मे लम्बाई चौड़ाई व राशि जमा कराने बाबत रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसके अनुसार लम्बाई 16 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर यानि 80 वर्गमीटर का वर्गफीट 861.11 (0.008 है0) बनते है। उक्त भूमि डी0एल0सी0 दर की दुगनी राशि 11355 /– रूपये बनती है जो प्रार्थिया द्वारा जरिये चालान नं0 310 दिनांक 27.03.2017 से राजकोष मे जमा करा दी है। अतः प्रकरण एवं प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आदेश

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) रा0टी0ए0 विरूद्व विपक्षी के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ढ़ीकोला पटवार हल्का ढ़ीकोला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा मे स्थित प्रार्थिया की खातेदारी आ0न0 5905/407 रकबा 0.25 है0 मे आने जाने हेतु ग्राम ढ़ीकोला की आ0न0 404 रकबा 0.50 है0 किस्म बंजड़ मे से लम्बाई 16 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर यानि 80 वर्गमीटर का वर्गफीट 861.11 (0.008 है0) को राजस्व रेकार्ड मे सार्वजनिक उपयोग हेतु रास्ता दर्ज किये जाने व नक्शे मे तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त रास्ते पर प्रार्थिया का मालिकाना हक नही होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 24.05.2017 को केम्प ढ़ीकोला पर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(क0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)